| तारीख हुक्म | हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज<br><br>**न्यायालय अपर सैशन न्यायाधीश, कम0 3 अजमेर**<br><br>**रमेशचंद गुर्जर बनाम सरकार व अन्य**<br>**फौजदारी निगरानी सख्या 107/2025**<br>**सीआईएस संख्या 107/2025** | नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए |
|---|---|---|
| 13.04.2026 | अधिवक्ता पक्षकारान उपस्थित। अधिवक्ता निगरानीकर्ता द्वारा निवेदन किया गया कि उनके द्वारा जिस आदेश के विरूद्ध हस्तगत निगरानी याचिका पेश की गयी है, उसका मूल प्रकरण दिनांक 25.03.26 को निस्तारित हो चुका है, जिसके निर्णय की प्रति पेश की गयी। अतः वह हस्तगत निगरानी याचिका में कोई कार्यवाही नहीं चाहते है।<br>मेरे द्वारा हस्तगत पत्रावली तथा विचारण न्यायालय के निर्णय की प्रति का अवलोकन किया गया। स्वयं निगरानीकर्ता द्वारा जिस मूल प्रकरण के सम्बंध में पारित आदेश दिनांक 17.02.25 के विरूद्ध हस्तगत निगरानी याचिका पेश की गयी थी, उस मूल फौजदारी प्रकरण संख्या 766/21 उनवानी रामदयाल बनाम रमेशचंद का विचारण न्यायालय द्वारा दिनांक 25.03.26 को निस्तारण किया जा चुका है। अतः मूल प्रकरण विचारण न्यायालय में निस्तारित होने से हस्तगत निगरानी याचिका सारहीन होने से खारिज की जाती है। आदेश सुनाया गया।<br>निगरानी याचिका में कोई कार्यवाही शेष नहीं है। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। आदेश की प्रमाणित प्रति विचारण न्यायालय को अविलम्ब प्रेषित की जावे।<br><br>**(नीरज गुप्ता)**<br>**अपर सेशन न्यायाधीश,**<br>**कम–3, अजमेर** | |

**Authenticated Document**